न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 05 / 2022
तारीख दायर – 21.02.2022

प्रार्थीगण :–

1. भवंरी कंवर पुत्री नारायणसिंह आयु–55 वर्ष
2. लीला कंवर पुत्री नारायणसिंह आयु– 48 वर्ष
3. सुगनसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु–45 वर्ष स्वयं तथा जरिये अधिकार पत्र भवंरी कंवर व लीला कंवर जातिगण–राजपुरोहित, निवासीगण–नाडोल, तहसील–देसूरी जिला पाली

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण :–

1. प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु– 52 वर्ष जातिगण–राजपुरोहित, निवासीगण–नाडोल, तहसील–देसूरी जिला पाली
2. सपनाकंवर पुत्री नारायणसिंह (पत्नी दलपतसिंह) आयु–38 वर्ष जाति–राजपुरोहित, निवासी–देवतरा, तहसील–बाली, जिला–पाली।

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से – श्री सुधीर कुमार श्रीमाली एवं हितेश कुमावत
2– अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
3– अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से– श्री शेषाराम कुमावत

–: आदेश :– दिनांक– 27/4/2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] अधिनियम, 1955 एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत [illegible] निवेदन किया कि मौजा ग्राम नाडोल चक प्रथम पटवार हल्का नाडोल–1 [illegible] जिला पाली में संयुक्त आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात [illegible] / 2, 1950, 1952 कुल [illegible] 03 कुल क्षेत्रफल 3.8200 हेक्टेयर की विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नारायणसिंह पुत्र जैताजी राजपुरोहित की खातेदारी व कब्जा सूद थी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सभी स्व. नारायणसिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी व वारिसान है। पिता स्व. नारायणसिंह का स्वर्गवास वर्ष 2013 में एवं माता मोहनी देवी का स्वर्गवास 25 वर्ष पूर्व हो चुका है।

यह कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी स्व. नारायणसिंह की खातेदारी का कब्जा सूद होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/5-1/5 वां हिस्सा यानि कुल 3/5 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का 1/5-1/5 वां हिस्सा यानि कुल 2/5 वां हिस्सा विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप वर्तमान जमाबंदी संलग्न है।

वादग्रस्त आराजी का कानुनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा नहीं हुआ है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी आज भी संयुक्त खातेदारी व कब्जासूद विद्यमान है। जिससे प्रार्थीगण ने आज से एक माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का कानूनन बंटवाडा करने का निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व उनके परिवार वाले नाराज हुए एवं प्रार्थीगण से लडाई-झगडा किया तथा प्रार्थीगण को धमकिया दी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी तथा ग्राम नाडोल में स्थित अन्य कृषि भूमि , मकान, प्लॉट अप्रार्थी संख्या 1 अकेला हडप लेगा। जिस पर मजबुरन यह वाद बंटवाडा व निषेधाज्ञा का पेश करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी के अलावा ग्राम नाडोल में खसरा नम्बर 1953, 1955 से 1957 कुल रकबा 0.2300 हेक्टर गैर मुमकिन बेरा व सडा की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तथा अन्य अधिक सह खातेदारी की होने से पृथक राजस्व वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए यह वाद पेश है।

यह है कि मूल वाद के निस्तारण में काफी समय लगेगा तब तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी व उसके भाग को गलत रूप से हस्तांतरित कर देगा एवं प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में जबरदस्ती हस्तक्षेप कर देगें। जिससे अप्रार्थीगण को तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञाके पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा जिससे तुरन्त ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक [illegible] नाडोल चक प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 194[illegible]0, 1952 कुल खसरे 03 कुल क्षेत्रफल 3.8200 हेक्टर में [illegible] जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी [illegible] किसी प्रकार का अवैध हस्तांतरण, बेचान इत्यादि नही करे तथा प्रार्थीगण के निहि[illegible] हक अधिकारो व कब्जे, काश्त मे जबरदस्ती, हस्तक्षेप, रद्दोबदल, परिवर्तन नही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर वकील शेषाराम कुमावत द्वारा वकालत नामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बंद किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस को सुना। पत्रावली एवं मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः न्यायालय की राय में यदि दोनों पक्षों द्वारा वादग्रस्त आराजी या किसी विशेष भू–भाग को किसी अजनबी को बेचान किया जाता है एवं यदि अजनबी केता द्वारा वादग्रस्त आराजी में जबरदस्ती प्रवेश किया जाता है तो इससे वाद में जटिलताएँ बढने की संभावना है। चूंकि न्यायालय दोनों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझता है। अतः अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझता है अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाडोल चक प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1949/2, 1950, 1952 कुल खसरे 03 कुल क्षैत्रफल 3.8200 हेक्टर की सामलाती संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने जमीन को खुद–बुर्द नहीं करें एवं मौके पर विशेष भू–भाग को किसी अन्य को बेचान नहीं करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)